

अनुमति की शर्तें ।

- (i) लक्ष्य भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वामित्व, राजस्वीय, व्यापारगत या अन्य) क्षेत्र की शिवाय में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत विद्यमान पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्कूल शिक्षा केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 254 दिनांक 04/11/2020

नाम पुनराम जखनोडा 518 श्री साधाराम जखनोडा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 1100/- जमा

जरिये स्टीट संख्या 2062/1537 1538

दिनांक 04/11/2020 को जमा करा दी है ।

P.O. No. 124 पञ्जावती नगर
पालिका विकास प्राण

6/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

6/11/2020

2014854/72

पी + 1
आवासीय